कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था /बी–2 /45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री दिलीप कुमार कोली प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांगल पहाडी, टोडाभीम जिला करौली का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रिनचा सबला जिला डूंगरपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री दिलीप कुमार कोली द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3246/2019 दिलीप कुमार कोली बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में अन्तरिम स्थगनादेश प्राप्त कर लिया गया।

उक्त स्थगनादेश की अनुपालना मे इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक: 17.12.2019 द्वारा श्री कोली को राउमावि नांगल पहाडी, टोडाभीम जिला करौली में प्रधानाचार्य के पद पर पूर्ववत पदस्थापित रखते हुए स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री बृजलाल बैरवा को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली किया गया। तत्पश्चात श्री बैरवा को कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/45002/एसबीसिया/गोपालसिंह /20260/2019 दिनांक: 24.12.2019 द्वारा राउमावि मेडी कोटडा, झाडोल जिला उदयपुर पदस्थापित किया गया।

माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3246/2019 दिलीप कुमार कोली बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य तथा अपील संख्या 31/2020 बृजलाल बैरवा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित समेकित निर्णय दिनांक: 11.02.2020 द्वारा श्री बृजलाल बैरवा के सम्बन्ध में आलोच्य एपीओ पदस्थापन आदेश दिनांक 24.12.2019 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 30.12.2019 को अपीलार्थी श्री बृजलाल बैरवा की सीमा तक अपास्त करते हुए अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार कोली को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष करौली जिले में प्रधानाचार्य के 3 रिक्त पद प्रदर्शित करते हुए अपना अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में श्री दिलीप कुमार कोली द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना समायोजन राउमावि डहरा, हिन्डौन/राउमावि नांगल पहाडी, टोडाभीम जिला करौली अथवा दिनांक 31.05.2020 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद राउमावि गुनसार, हिन्डौन जिला करौली किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार कोली के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में श्री दिलीप कुमार कोली का समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डहरा, हिन्डौन जिला करौली में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

अपीलार्थी श्री बृजलाल बैरवा के सम्बन्ध में आलोच्य एपीओ पदस्थापन आदेश दिनांक 24.12.2019 को माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करते हुए उनका पदस्थापन पुनः राउमावि नांगल पहाडी, टोडाभीम जिला करौली में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/दिलीप–बृजलाल/3246/2019/31/2020 दिनांक 17.02.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/उदयपुर संभाग, भरतपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, करौली/डूंगरपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, करौली/डूंगरपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)